न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 02/2022
रजि. संख्या : 2022/23

प्रार्थीपक्ष :–		अप्रार्थी :–
श्री धर्मा उर्फ धरमा पिता श्री हुरजी कटारा, जाति भील, उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत चडला भाग द्वितीय, तहसील घाटोल जिला बॉसवाडा	बनाम	राजस्थान राज्य द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा

उपस्थित

श्री नरेन्द्र सिंह झुला	प्रवर्तन अधिकारी,
–अभिभाषक (अपीलार्थी)	–विभागीय प्रतिनिधि

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976) विरूद्ध निर्णय दिनांक 28–12–2021, न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा प्रकरण संख्या 18/2020

निर्णय

दिनांक :– 24.06.2022

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी डीलर श्री धर्मा उर्फ धरमा पिता श्री हुरजी कटारा, जाति भील, उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत चडला भाग द्वितीय, तहसील घाटोल जिला बॉसवाडा की उचित मुल्य दुकान का निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत (प्रवर्तन निरीक्षक) जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा दिनांक 04.04.2020 को किया गया। जिसमें अनियमितता पाये जाने पर रिपोर्ट अनुसार डीलर के विरूद्व प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 820/1995 दिनांक 27.11.1995 को निलम्बित कर नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी के मात्र जवाब के आधार पर दिनांक 28–12–2021 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र क्रमांक 820/1995 निरस्त करते हुए प्रतिभूति की राशि जब्त करने के आदेश किये है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा, को सम्मन जारी किया गया।

रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि, अपीलार्थी डीलर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच रेस्पोडेंट द्वारा उक्त प्रकरण में तथ्यों के आधार पर विधि संगत ढंग से निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी डीलर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच में उपभोक्ताओं को राशन नहीं देना पाया गया। निर्धारित समय में दुकान नहीं खोलने, तौल में सामग्री कम देने एवं झूठा इन्द्राज करना पाया गया। साथ ही डीलर द्वारा कोविड'19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा बायोमेट्रक सत्यापन पर रोक लगाकर ओ.टी.पी. के आधार पर वितरण करने/ किसी कारण से ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं होने पर बिना ओ.टी.पी. राशन कार्ड नम्बर दर्ज कर वितरण करने एवं अप्रेल 2020 का वितरण मार्च में प्रारम्भ करने का अनुचित लाभ उठाते हुए दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020 तक 117.44 क्विंटल गेहूं, 30 किलो चीनी एवं 246 लीटर केरोसीन का फर्जी ट्रांजेक्शन किया गया, जबकि भौतिक रूप से किसी भी उपभोक्ता को राशन सामग्री नहीं दी गई। इसी आधार पर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर बाद सुनवाई तथ्यों के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। वक्त निरीक्षण मोतबीरानो के समक्ष गोदाम की जांच की गई थी। जांच में मूल्य व स्टॉक सूची बोर्ड रिक्त पाया गया था एवं पोस मशीन भी नहीं पाई गई थी। इस संबंध में श्रीमान से निवेदन है कि डीलर द्वारा राशन वितरण में गम्भीर अनियमिताऐं की जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 9, 10, 11, 14, व 17 सी का उल्लंघन किया गया है। अतः अपील खारीज करने का श्रम करावें।

दिनांक 24.06.2022 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि (प्रवर्तन अधिकारी) ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 28.12.2021 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 25.03.2022 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार लगभग तीन माह के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है।अपीलार्थी डीलर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच में उपभोक्ताओं को राशन नहीं देना पाया गया। निर्धारित समय में दुकान नहीं खोलने, तौल में सामग्री कम देने एवं झूठा इन्द्राज करना पाया गया। साथ ही डीलर द्वारा कोविड'19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा बायोमेट्रक सत्यापन पर रोक लगाकर ओ.टी.पी.

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

आधार पर वितरण करने / किसी कारण से ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं होने पर बिना ओ.टी.पी. राशन कार्ड नम्बर दर्ज कर वितरण करने एवं अप्रेल 2020 का वितरण मार्च में प्रारम्भ करने का अनुचित लाभ उठाते हुए दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020 तक 117.44 क्विंटल गेहूं, 30 किलो चीनी एव 246 लीटर केरोसीन का फर्जी ट्रांजेक्शन किया गया, जबकि भौतिक रूप से किसी भी उपभोक्त को राशन सामग्री नहीं दी गई। डीलर द्वारा राशन वितरण में गम्भीर अनियमिताऐं की जाक राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 व तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 9, 10, 11, 14, व 17 सी का उल्लंघन किया गय है। अतः अपील खारीज करने का श्रम करावें।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि जिला रस अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय 28.12.2021 जानकारी होने पर प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत व है। देरी का कारण कालांतर में कोविड महामारी के कारण लोक डाउन होना भी है। अपील प्रस्तु करने में हुई देरी को क्षमा करे। अपीलार्थी द्वारा विगत 1995 से राशन डिलर का कार्य नियमानुस कर रहा है अपीलार्थी द्वारा विगत 25 वर्षो से कोई अनियमितता नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वा उपभोक्ताओं को बराबर समय पर नियमित रूप से नियंत्रित सामग्री का वितरण किया गया है अपीलार्थी द्वारा कोरोना महामारी (कोविड–19) में भी किसी भी प्रकार की लापरवाही अनियमितता किये बिना अपने परिवार और अपने स्वयं की जान की परवाह किये बिना राज्य अ केन्द्र सरकार के आदेशानुसार और मंशानुसार समाज के सभी वर्गो को खाद्य सामग्री का वित किया गया। राज्य व केन्द्र सरकार के कोविड 19 की गाईड लाईन अनुसार किसी भी प्रकार बायोमेट्रीक, फिंगर व हस्ताक्षर पर रोक होने की वजह से पोस मशिन को पैक कर गौदाम में रखा था। निर्णय मे वर्णित वेसुराम, धनेश्वर, धुलिया, पूंजीलाल, रंगजी के पुलिस बयान लेख किये गये है जिसमें उन्होने राशनकार्ड पर चीनी, गेहु, केरासीन प्राप्त करने कथन किया है जिस आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध पेश की गई प्रथम सूचना सं. 110/2020 पुलिस थाना खमेर एफ.आर पेश की जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई गबन दुरुपयोग साबित नही हुआ है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 28.12.2021 को अपास्त फरमाया जाकर प्राधिकार पत्र सं. 820/1995 को ब करने एवं प्रतिभूति राशि दिलाने निवेदन किया।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने ... है। दोनो पक्षो की बहस सुनने पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे ... प्रकरण ... गुणावगुण के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जाये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शिकायत प्राप्त होने पर बाद जांच अनियमितताऐं करना पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया एवं विधि संगत ढंग से सुनवाई की जाकर तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का प्राधिकार–पत्र निरस्त किया गया है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत् जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 9, 10, 11, 14 व 17सी का उल्लंघन किए जाने के फलस्वरूप अनुज्ञा–पत्र निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायायलय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–12–2021 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलार्थी निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–12–2021 को यथावत् रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:37 IST
Reason: SelfAttested